शुद्धिपत्र

संख्या-50/2024/आई/496462/23-1-24-23-1002(002)/247/2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ:: 15 फरवरी, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 706 चालू कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3054 मद में उपलब्ध कराये गये विभिन्न प्रस्तावों के क्रम में शासनादेश संख्या-1073/2023/आई/459616/23-1-23/003-23-1002(002)/247/2023, दिनांक 29.12.2023 द्वारा अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 706 चालू कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत शासनादेश में क्रमांक-300 पर अंकित जनपद हरदोई के 01 कार्य "गोदेपुरवा से जकईया सम्पर्क मार्ग", (विश्वकर्मा पोर्टल पर पत्रांक-7099, दिनांक 21.12.2023) तथा क्रमांक-352 पर जनपद गोरखपुर के 01 कार्य "नरगढ़ा जंगा सिंह सम्पर्क मार्ग", (विश्वकर्मा पोर्टल पर पत्रांक-7003, दिनांक 07.12.2023) हेतु विश्वकर्मा पोर्टल पर अंकित अद्यतन धनराशि के अनुसार रू0 8.04 लाख तथा रू0 4.81 लाख स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1345सीजी/02रा0स0नि0(आवंटन)/3054/मूल/23-24, दिनांक 03.01.2024 द्वारा अनुरोध के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश संख्या-1073/2023/आई/459616/23-1-23/003-23-1002(002)/247/2023, दिनांक 29.12.2023 में अंकित तालिका के क्रमांक-300 एवं 352 पर अंकित जनपद हरदोई एवं गोरखपुर के कार्यों हेतु स्वीकृत आवंटन क्रमशः रू0 8.04 लाख एवं रू0 4.81 लाख के स्थान पर रू0 7.04 लाख एवं रू0 4.57 लाख तथा कुल धनराशि रू0 1,63,75,42,000/- (रूपये एक अरब तिरसठ करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पचहत्तर लाख बयालीस हजार मात्र) के स्थान पर रू0 1,63,74,18,000/- (रूपये एक अरब तिरसठ करोड़ चौहत्तर लाख अठ्ठारह हजार मात्र) पढ़ा जाय।

3- इस प्रकार शासनादेश दिनांक 29.12.2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 1,63,75,42,000 में से रू0 1,24000/- (रूपये एक लाख चौबीस हजार मात्र) के अन्तर की माइनस इन्ट्री Finrms पोर्टल पर अंकित कर दी गयी है।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 29.12.2023 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव।

संख्या-50/2024/आई/496462(1)/23-1-24-23-1002(002)/247/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।